भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †5310

दिनांक 05 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

†5310.श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री भोला सिंहः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इन प्रावधानो को पुनः बहाल करने के लिए कोई कदम उठा रही है जिस पर राज्य पंचायतों रोक लगा दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) से (ग) 'पंचायत', 'स्थानीय शासन' होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत पंचायतें स्थापित की जाती हैं और संचालित होती हैं और पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए आरक्षण सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्यों के दायरे में आते हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243D(6) में यह प्रावधान है कि इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

***